27.11.17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत इस्तकरार हक विभाजन व हुक्मइम्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोलाना में एक लच्छुराम हुआ जिसके तीन पुत्र सुल्तान, देवकरण व गुगनराम हुये सुल्तरन की मृत्यु हो गई जिसके पत्नी सिणगारी एवं दो नुत्र बनवारी व रामस्वरूप हुये। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 का पूर्वज लच्छुराम हुआ ।ग्राम सोलाना में आराजी हाल ख0नं0 80 रकबा 0.74 हैक्टर, ख0नं0 147 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 374 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0नं0 375 रकबा 1.23 हैक्टर ख0नं0 844 रकबा 2.20 हैक्टर कुल किता-5 रकबा 5.69 हैक्टर है जिसके गत ख0नं0 32/2, 69मीन, 257 मीन, 397/1 मीन थे।ख0नं0 80 रकबा 0.74 हैक्टर के अलावा भूमि का पहले टीनेन्ट वादीगण का पूर्वज लच्छुराम था । लच्छुराम के देहान्त के बाद विवादित आराजी की खातेदारी उसके तीनों पत्रों को उत्तराधिकार मे 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त हो गई । इनका परिवार संयुक्त परिवार के रूप में ही रहता था । संयुक्त परिवार की आय से खसरा नं0 80 रकबा 0.74 हैक्टर जिसके गत खसरा नं0 32/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा क्रय की गई थी । जिसमें भी लच्छुराम के तीनों पुत्रों का 1/3, 1/3 हक हिस्सा था । इस प्रकार उक्त समस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं0-1 की कोटीनेन्सी की है और इसी अनुसार खातेदारी ●●●● की घोषणा कराने के हकदार है ।खसरा नं0-80 संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई थी जिसका विक्रय पत्र आपस में प्रेम भावके कारण परिवार के मुखिया प्रतिवादी

27-11-19
(लगातार)

संख्या-1 के नाम करवा दिया गया ।उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी सं0-1 के नाम गलत केवल परिवार का मुखिया होने से हो गया जिसको दुरूस्त कराने के हकदार है ।जिसमें वादी सं0-1 से 3 को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0-1 व वादी संख्या -4 को 1/3, 1/3 का खातेदार काश्तार घोषित किया जावे । दौराने दावा पक्षकारान में राजीनामा हो गया । राजीनामा में ख0नं0 147 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 374 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0नं0 375 रकबा 1.23 हैक्टर एवं ख0नं0 844 रकबा 2.20 हैक्टर मौजा सोलाना में वादी सं0-1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/3, वादी सं0-4 व प्रतिवादी सं0-1 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार करने का पेश किया । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं0-2012 विवादित आराजी लच्छुराम के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी सं0-2015, 2023 से 2026, 2017 से 2030 2031 से 2034 में विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या -1 गुगन पुत्र लच्छुराम के नाम दर्ज है ।राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी पैत्रिक है क्योंकि पूर्व में विवादित आराजी का खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 का पूर्वज लच्छु खातेदार काश्तकार दर्ज है । राजीनामा में भी पक्षकारों ने इस बात को स्वीकार किया है ।राज्य सरकार की नीति के अनुसार भी पक्षकारों के मध्य राजीनामा होकर प्रकरण का निस्तारण होता है तो राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण राजीनामा अनुसार किया जाना चाहिये ।

प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मुताबिक राजीनामा पक्षकारों का प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्णय होगा तथा राजीनामा भी विधि संगत है जो एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के मध्य है ।अत:

16/2009 कलवारी – ठेठगामङा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2-01-2009 को खारिज किया जाता है तथा आराजी ख0नं0 147 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं 374 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0नं0 375 रकबा 1.23 हैक्टर, ख0नं0 844 रकबा 2.20 हैक्टर ग्राम सोलाना में वादी सं0-1 से 3 को 1/3 हिस्सा, वादी सं0-4 व प्रतिवादी सं0-1 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय सुनाया गया । भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	